उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- *अस्थाई वृत्त लो०नि०वि० गुप्तकाशी*

खण्ड का नाम :- *प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग*

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी0।

क्षेत्रफल :–

वन पंचायत भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.7425 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	1.9575 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	2.7000 हेक्टेयर
वांछित क्षेत्रफल	–	0.7425 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूची

क्र.	प्रपत्र	पृ0सं0
1	आवरण पृष्ठ	1-2
2	विषय सूची	3
3	फैक्ट सीट	4-6
4	प्रतिवेदन	7
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश	8-11
6	भारत सरकार के प्रपत्र	12-17
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट व प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18-21
8	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	22
9	प्रभावित वृक्षों के पातन की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	23-25
10	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	24
11	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	26
12	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	27
13	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना (पंचवर्षीय)	28-30
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र, काग्र योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र	31-36
15	परियोजना का बार चार्ट	37
16	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र	38
17	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	39
18	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	40-42
19	आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	43-44
20	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण–पत्र	45
21	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	46
22	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	47
23	भू–वैज्ञानिक की आख्या	48-51
24	भू–वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	52
25	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र	53
26	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र	54
27	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	55
28	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	56
29	लभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	57
30	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	58
31	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	59
32	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र	60-61
33	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने एवं मूल्य वृद्धि का प्रमाण–पत्र	62
34	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र	63-66
35	प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र	67
36	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	68-73
37	मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र	74
38	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	75
39	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	76
40	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	77
41	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण	78
42	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र	79
43	राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	80
44	रसोई गैस /कैरोसिन आपूर्ति का प्रमाण पत्र	81
45	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	82-84
46	विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र	85

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी0।

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)–

वन पंचायत भूमि	–	0.0000 है0
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.7425 है0
आरक्षित वन भूमि	–	0.0000 है0
निजी भूमि	–	1.9575 है0
योग	–	2.7000 है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम – रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
4. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है– हाँ/नही
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हाँ/नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है – हाँ/नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हाँ/नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नही
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है – हाँ/नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हाँ/नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ/नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /आस–पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हाँ/नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है – हाँ / नहीं ✓

यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालका का प्रामण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं ✓

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हाँ / नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) – हाँ / नहीं (मार्ग नव निर्माण है)

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग–अलग रंगों से भरा गया है – हाँ / नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हाँ / नहीं

23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है – हाँ / नहीं ✓

24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय – हाँ / नहीं ✓

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं – हाँ / नहीं

26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण ग्राम वासियो की असहमति के कारण

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है – हाँ / नहीं
(5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है – हाँ / नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें – हाँ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ / नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है– यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित है – हाँ / नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हाँ / नहीं

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हाँ / नहीं

35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

36. एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) – हाँ/नहीं

37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा सीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसरा खतौनी सहित संलग्न है – हाँ/नहीं

38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं – हाँ/नहीं

41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक सगरेखण दर्शाया गया है – हाँ/नहीं

42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है – हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी0**

इस मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 4104(1)/ III(2)/11–15(मु0मं0घो0)/2011, दिनांक 19.09.2011 द्वारा लागत रू0 27.80 लाख की प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न हैं।

यह मार्ग पूर्व निर्मित जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग के किमी0 4 से प्रारम्भ होते हुए तैला व वाड को जोड़ेगा। मार्ग निर्माण से पूर्व मार्ग के संरेखण में आने वाली वन भूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग निर्माण में 0.7425 है0 सिविल भूमि, एवं 0.0000 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 1.9575 है0 नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के निर्माण हो जाने से तैला, वाड गांव एवं नजदीकी तोकों को लाभ मिलेगा। साथ ही लगभग 897 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। इस मार्ग के निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, मालटा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः इस हल्के वाहन मार्ग के मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार–

वन पंचायत भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.7425 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	1.9575 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	**2.7000 हेक्टेयर**
वांछित क्षेत्रफल	–	**0.7425 हेक्टेयर**

उक्त प्रस्तावं के अन्य वाछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 0.7425 है0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता।
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या--[illegible]/III(2)/11--15(मु0म0घो0)/2011

प्रेषक

सचिव,
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर--1,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग--2

देहरादून: दिनांक: 19 सितम्बर, 2011

विषयः-- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न 05 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 05 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 54.96 लाख (₹ चौव्वन लाख छियानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक के कॉलम सं0--6 पर अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011--12 में प्रति कार्य हेतु ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

(i)-- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0--1764/III(2)/10--17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)-- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)-- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जायें। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)-- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)-- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद से किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय

(vi)-- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स--2003 एवं उक्त के विषय में समय--समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)-- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-- 2047/XIV--219(2006) दिनांक 30--05--2006 द्वारा निर्गत आदेशों को कार्य कराते [illegible] ध्यान सहित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(क्रमशः)

सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0--22--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--04 जिला तथा अन्य सड़कें-- आयोजनागत--800--अन्य व्यय--05--सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण --00--24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित नियतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)-- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)-- वित्तीय वर्ष 2011--12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011--12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0--22--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय --04 जिला तथा अन्य सड़कें --आयोजनागत --800--अन्य व्यय--03 राज्य सेक्टर--02 नया निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3)-- यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या--336(I)/XXVII(2)/2011 दि0 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-- यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या--4154/(1)/III(2)/11--13(मु0म0यो0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग--2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग--1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

Photo Copy Attested
AE

अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

सं0-- 3258 / 27 ... / 2011 दिनांक 10-10-2011